

अनंत शास्त्री
प्रकाशक, मुद्रक एवं मूल्य संपादक
डॉ. दिलीप थाकड़ द्वारा फोक्स स्विचर
मॉडिया प्रा. लि. के लिए बायोस्ट,
इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8,
फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नारोटा बागवां,
जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-
176047 से मुद्रित एवं प्रकाशित। समस्त
समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए
पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/25/A0284
ई-मेल : anantgyaanmedia@gmail.com
फोन नंबर : 01892-299098

तेयारी कर रहे हैं। फलदार पौधों पर कुल्हाड़ी चलाना वैसे समझधारी नहीं माना जाता है। वन विभाग भी ऐसा करने की किसी ठेकेदार को अनुमति नहीं देता है। सेब की फसल तोड़ने के उपरांत इस कार्यवाही को अंजाम दिए जाना सही नहीं है, आज यह सवाल उठना शुरू है। बागवान पौधों का अपने बच्चे समान पालन, पोषण करता है। ऐसे में फलदार पौधे काटना भूखंड जलन को न्योता देना नहीं है। पेड़ जमीन को अपनी जड़ों से जकड़कर रखते हैं।

